instruments through which a few people control economic power, the funds of the second company are then utilised to gain control over a third company and this process continues; and

(c) whether Government are also aware of the practice of companies borrowing huge amounts from financial institutions and banks on the one hand and lending the funds to other people indirectly connected with the companies directors?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) and (b). The Government is aware that inter-corporate investment is an important instrument for gaining corporate control. Any proposal for purchase of controlling interest in any other company by registered/registerable undertakings under the MRTP Act, 1969 would require prior approval of the Central Government under sub-section (4) of Section 23 of that Act. In certain cases, such proposals may also require approval of the Central Government under Sections 108A and 372(4) of the Companies Act, 1956. Each case is considered on its merits in the light of the guiding principles contained in Section 28 of the MRTP Act, the Industrial Policy of the Government and other relevant considerations.

(c) Under Section 295 of the Companies Act, 1956 the prior approval of the Central Government is required in cases where public limited companies and the subsidiaries of such companies other than the Banking Companies, are to grant loan or to give guarantee or provide any security to any director, partner or relative of a director or firm in which such director or his relative is a partner and certain private companies and bodies corporate in which any director has any specified interest. The Government also ensures that the loan is granted only when the company has sufficient internally generated funds.

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए न्यास की स्थापना करना

64. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए न्यास के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 54, दिनांक 22 नवम्बर, 1978 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार का विचार 1 अप्रैल से आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए न्यास का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस न्यास की स्थापना से पूर्व कार्यक्रम तैयार करने वाले अधिकारियों का एक संवर्ग बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) और (ख) : आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्तता सम्बन्धी कार्य दल की दोनों संगठनों के भावी ढांचे के बारे में सिफारिशों की विस्तृत जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में एक विधेयक संसद में इसके चालू सत्र के दौरान पेश किए जाने की सम्भावना है। नये ढांचे को स्थापित करने की तारीख का निर्णय विधेयक के कानून में अधिनियमित हो जाने के बाद लिया जाएगा।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

आपातस्थिति के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारियों की बहाली

65. **श्री टी० एल० शेंगी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री आकाशवाणी और दूरदर्शन के राजपत्रित अधिकारियों को समय से पूर्व सेवा निवृत्त किये जाने के बारे में 6 दिसम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2456 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपयुक्त प्रश्न में उल्लिखित राजपत्रित अधिकारियों को आपात स्थिति के दौरान ही बहाल कर दिया गया था;

(ख) इस समय ये अधिकारी किन किन पदों पर कार्य कर रहे हैं;